बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
एवं
बालक (श्रम-गिरवीकरण) अधिनियम, 1933

प्रकाशक

'न्याय सदन'

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं

बालक (श्रम–गिरवीकरण) अधिनियम, 1933

प्रकाशक :

'न्याय सदन'

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

बाल का अर्थ

14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति 'बाल' कहलाया जाएगा।

उपजीविकाएँ (व्यवसाय) जिनमें बाल मजदूरी की मनाही है जैसे

1. रेलों द्वारा यात्रियों, माल और डाक को ढ़ोना।
2. कोयला बीनना, राख के गड्ढ़ों को साफ करना तथा रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना।
3. रेलवे स्टेशन पर स्थित होटल में काम करना जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना–जाना और चलती रेल से चढ़ना–उतरना पड़ता हो। इसमें रेलवे स्टेशन या चलती हुई रेल में वस्तु बेचना भी शामिल है।
4. रेलवे स्टेशन का निर्माण या उससे सम्बन्धित काम जो रेल की पटरी के पास या बीच में किया जाता हो।

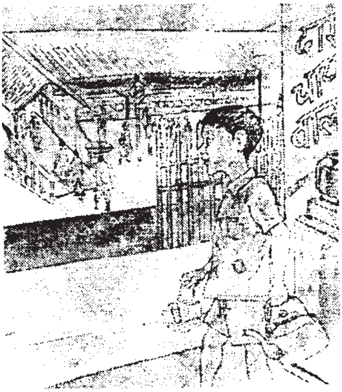

5. बन्दरगाह पर काम करना।

6. अस्थाई लाइसेन्स वाली दुकानों पर पटाखों और आतिशबाजी का सामान बेचना।

7. बूचड़ खाने में।

8. मोटर गाड़ियों की कार्यशाला (वर्कशाप) और गैराज में।

9. ढ़लाई के कारखानों में।

10. जहरीले, आग पकड़ने या विस्फोटकों को उठाने और रखने में।

11. हथकरघा तथा पावरलूम उद्योग।

12. खान (भूमिगत एवं पानी के अन्दर) तथा कोयले की खान।

13. प्लास्टिक इकाइयाँ तथा फाइबर ग्लास वर्कशाप आदि।

कुछ प्रक्रियाएं, जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है

1. बीड़ी बनाना।

2. कालीन बुनना।

3. सीमेंट बनाना और बोरियों में उसे भरना।

4. कपड़े की छपाई, रंगाई और बुनाई।

5. माचिस, विस्फोटक पदार्थों तथा पटाखों को बनाना।

6. अभ्रक काटना और उसके टुकड़े करना।

7. साबुन बनाना।

8. ऊन साफ करना।

9. चमड़ा बनाना।

10. भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट को संसाधित और पालिश करना शामिल है।

11. स्लेट पेंसिल बनाना।

12. काजू और काजू के छिलके उतारने का काम।

13. अगरबत्ती बनाना।

14. डिटरजेंट बनाना।

15. रत्न तराशना और पालिश करना।

16. जूट के कपड़े बनाना।

17. चूना भट्टी और चूना बनाना।

18. ताला बनाना।

19. काँच बनाना जिसमें चूड़ियाँ, बल्ब व ट्यूब बनाना भी शामिल है।

20. कागज बनाना।

21. जरी बनाना।

बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति

केन्द्र सरकार एक सलाहकार समिति का गठन करेगी जो सरकार को उपजीविकाएँ (व्यवसाय) और प्रक्रियाएं जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है, बढ़ाने और घटाने की सलाह देगी। इस समिति में एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम दस सदस्य होंगे। यह समिति उप समिति का भी गठन करेगी।

कार्य करने का समय

किसी भी बच्चे से निम्नलिखित समय के अनुसार ही काम कराया जा सकता है। जैसे :–

1. तीन घंटे का काम करने पर एक घंटे की छुट्टी विश्राम के लिए दी जाएगी।
2. छुट्टी का समय मिलाकर किसी भी बच्चे से एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता है।
3. किसी भी बच्चे से शाम के 7 बजे से सुबह 8 बजे तक काम नहीं कराया जाएगा।

4. बच्चे से निर्धारित समय से ज्यादा काम (ओवरटाइम) नहीं कराया जा सकता।

5. किसी बच्चे से एक ही दिन में दो जगहों पर काम नहीं कराया जाएगा।

साप्ताहिक छुट्टी

काम करने वाले बच्चे को सप्ताह में एक छुट्टी देना जरूरी है।

निरीक्षक को सूचना

अगर मालिक किसी बाल मजदूर को काम पर लगाता है तो उसे यह जानकारी निरीक्षक अधिकारी को तीस दिन के अन्दर एक लिखित सूचना के रूप में देनी होगी। इस सूचना में काम के स्थान का नाम, पता, मालिक का नाम तथा ऐसे स्थानों में होने वाले कामों का विवरण देना होगा।

रजिस्टर रखना

मालिक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा रजिस्टर रखे जो निरीक्षक को निरीक्षण के लिए काम करने के समय उपलब्ध कराए। इस रजिस्टर में बच्चे का नाम,

जन्म तिथि, काम का समय, प्रकृति इत्यादि का विवरण दिया जाएगा।

सूचना को प्रदर्शित करना

रेल प्रशासन, बन्दरगाह अधिकारी तथा मालिक स्थानीय एवं अंग्रेजी भाषा में उपजीविकाएं एवं प्रक्रियाएं, जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है, और इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड की सूचना को रेलवे स्टेशन, बन्दरगाह की सीमाओं के भीतर एवं काम के स्थान में ऐसी साफ दिखाई देने वाली और सुगम जगह पर प्रकाशित करेंगे।

नियम

सरकार निम्नलिखित के सम्बन्ध में नियम बनाएगी –

1. कार्यस्थान की सफाई
2. कूड़े को फेंकने की व्यवस्था
3. रोशनदान एवं तापमान
4. धूल एवं धुँआ
5. पीने के लिए स्वच्छ पानी
6. रोशनी
7. शौचालय

8. थूकदान

9. मशीनों पर बाड़ लगाना

10. चलती मशीन या उसके पास काम करना।

11. खतरनाक मशीनों पर बच्चों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश, प्रशिक्षण और देखरेख

12. बिजली को बंद करने के लिए उपकरण

13. स्वचालित मशीनें

14. नई मशीनों को सुगम बनाना

15. फर्श, सीढ़ियों और अन्य पहुँच के साधन

16. भारी वजन

17. आँखों की सुरक्षा

18. विस्फोटक, ज्वलनशील धूल, गैस आदि।

19. आग लगने पर बचाव

20. इमारतों की देखभाल

21. इमारत एवं मशीनों की सुरक्षा

22. बच्चों के काम करने के घंटे

23. बच्चों की उम्र के प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

दण्ड

कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को ऐसी उपजीविकाएं (व्यवसाय) और प्रक्रियाएं जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है, उसमें काम कराता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम तीन महीने और अधिक से अधिक एक वर्ष की जेल या कम से कम दस हजार रूपये या अधिक से अधिक बीस हजार रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो दोबारा ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, उसे कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक दो वर्ष की जेल हो सकती है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में एक महीने की साधारण जेल और 10,000 रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

1. अगर मालिक निरीक्षक को अपने यहाँ नियुक्त बच्चों की सूचना नहीं देता है।
2. अगर मालिक रजिस्टर नहीं रखता है या उसमें झूठी बात लिखता है।
3. मालिक उपजीविकाएं एवं प्रक्रियाएं, जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है, और इस अधिनियम के अंतर्गत दण्ड की सूचना को प्रकाशित नहीं करता है।

4. कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए उपबंध एवं नियमों का पालन नहीं करता है।

अपराधों से सम्बन्धित प्रक्रिया

कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की शिकायत सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष कर सकता है।

ऐसे मुकदमों की सुनवाई मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से नीचे के न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती।

बाल श्रमिक की आयु पर विवाद

अगर किसी भी तरह का विवाद बाल–श्रमिक की आयु को लेकर होता है, तो ऐसे में चिकित्सीय अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।

उच्चतम न्यायालय के बाल श्रम के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय

1. **अनिल कुमार बनाम सहायक श्रम अधिकारी, मथुरा** में उच्चतम न्यायालय ने मालिकों को बाल श्रमिकों को मुआवजा देने का आदेश दिया।

2. **एम0 सी0 मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य** में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तथा न्यायालय ने बाल श्रमिक पुनर्वास एवं भलाई कोष स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसमें मालिक प्रति बच्चे के हिसाब से 20,000 रूपये जमा करेगा।

बालक (श्रम–गिरवीकरण) अधिनियम, 1933

इस अधिनियम के तहत बाल श्रम को गिरवी रखने का मतलब ऐसे करार से है, जिसके तहत बच्चे के माता पिता या संरक्षक किसी भुगतान या लाभ जो मिलने वाला हो या मिल चुका हो उसके बदले में बच्चे की सेवाओं का किसी रोजगार में उपभोग करने का करार करते हैं या अनुमति देते हैं।

इनमें वह करार शामिल नहीं है जो –

- ❖ बच्चे के हित में हो और
- ❖ बच्चे की सेवाओं की उचित मजदूरी के अलावा किसी अन्य लाभ के लिए हो और
- ❖ जो एक हफ्ते या कम की सूचना से रद्द किए जा सकते हों।

किसी बच्चे का श्रम गिरवी रखने का करार शून्य होगा अर्थात् उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

दण्ड

इस कानून के विरूद्ध करार करने वाले माता पिता या संरक्षक पर 50 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अगर कोई व्यक्ति इस कानून के विरूद्ध माता पिता या संरक्षक से बाल श्रम गिरवी रखने का करार करता है, तो उसे 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि किसी बच्चे के श्रम को गिरवी रखने का करार किया गया है, उसे किसी काम में लगाता है या लगाए जाने की अनुमति देता है, तो उसे 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची
फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397
ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com
वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in